राजस्थान सरकार
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
निदेशालय एनएचएम, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर

क्रमांक एफ.20 (503-VI)एनआरएचएम/एचआरडी/2017/ 167 दिनांक : 27/02/17

–: आदेश :–

एनएचएम विज्ञप्ति क्रमांक 407 दिनांक 13.04.2016 के क्रम में **Psychologist** (साइकोलॉजिस्ट) के संविदा पद पर चयनित अभ्यर्थियों को उनके नाम के सम्मुख उल्लेखित पदस्थापन स्थानों पर **रू 20,000/– प्रतिमाह** समेकित मानदेय दर पर संविदा आधार पर नियुक्त किया जाकर एतद् द्वारा निम्नानुसार पदस्थापित किया जाता है:–

क्र.सं.	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	पदस्थान स्थान
1	ज्योति चौहान	श्री लटूर सिंह चौहान	जिला चित्तौड़गढ़
2	श्री दीपचन्द बैरवा	श्री बद्री प्रसाद बैरवा	जिला जालौर
3	प्रेक्षा वशिष्ठ	श्री चकरेश वशिष्ठ	जिला भीलवाड़ा
4	डॉ. प्रमिला शर्मा	श्री दीनदयाल शर्मा	जिला अलवर
5	प्रियंका शर्मा	श्री रमेश कुमार शर्मा	जिला चूरू
6	सोनू देवी	श्री जगदीश चन्दर	जिला बीकानेर

समस्त नव नियुक्त संविदा कार्मिको को निर्देशित किया जाता है कि वें आदेश जारी दिनांक से **दिनांक** 7/3/17 तक आवश्यक रूप से अपने आवंटित पदस्थापन स्थान से सम्बन्धित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के समक्ष समस्त आवश्यक मूल दस्तावेजों सहित अपनी उपस्थिति देते हुये संबंधित पद पर कार्यग्रहण किया जाना सुनिश्चित करें।

समस्त नव नियुक्त संविदा कार्मिक अपने आवंटित पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण कर, इसकी रिपोर्ट मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के माध्यम से दिनांक 10/3/17 को सायं 5.00 बजे तक आवश्यक रूप से ई–मेल आई.डी. **co_hrd.nrhm@yahoo.com** पर भिजवाना सुनिश्चित करावें।

यदि कोई कार्मिक तय समय सीमा में निर्धारित स्थान पर ज्वाईन नहीं करता है तो आगे नियुक्ति के संबंध में उसका कोई अधिकार नहीं होगा एवं उसकी नियुक्ति स्वतः ही निरस्त समझी जाकर संबंधित पद को रिक्त पद मानते हुये आगामी कार्यवाही की जायेगी। इस सम्बन्ध मे अंतिम निर्णय का अधिकार मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन को होगा।

समस्त नव नियुक्त संविदा कार्मिको को निर्देशित किया जाता है कि कार्यग्रहण के समय चिकित्सा प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र एवं रू 100/– के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पेपर के साथ उपस्थिति प्रदान कर कार्यग्रहण किया जाना सुनिश्चित करे। आदेश के साथ निर्धारित अनुबंध का प्रारूप, चिकित्सा प्रमाण पत्र का प्रारूप एवं चरित्र प्रमाण पत्र का प्रारूप संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु भिजवाया जा रहा है।

नव नियुक्त संविदा कार्मिको के लिये अनुबंध अवधि कार्यग्रहण तिथि से दिनांक 31.03.2017 तक के लिये होगी जो कि भारत सरकार से प्राप्त अनुमति के आधार पर बढाई जा सकेगी। अनुबंधित संविदा कार्मिको को उक्तानुसार समेकित मानदेय के अतिरिक्त अन्य कोई परिलाभ देय नही होगें। इस संबंध में आगामी कार्यवाही भारत सरकार द्वारा परियोजना के अन्तर्गत जारी विशिष्ठ प्रावधानों के अध्याधीन होगी।

इस सम्बन्ध में समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त नव नियुक्त संविदा कार्मिकों के मूल दस्तावेजो की जॉच कर नियमानुसार कार्यग्रहण करवाये जाकर अनुबंध के निष्पादन की कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करावें।

(अंजू राजपाल)
परियोजना निदेशक
एनएचएम

क्रमांक एफ.20 (503-VI) एनआरएचएम / एचआरडी / 2017 / 167 दिनांक : 27/2/17

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, विशिष्ठ शासन सचिव, चि0 स्वा0 विभाग एवं मिशन निदेशक, एनएचएम।
4. निजी सहायक, अतिरिक्त मिशन निदेशक, एनएचएम, जयपुर।
5. निजी सहायक, संयुक्त शासन सचिव, एनएचएम, जयपुर।
6. निजी सहायक, परियोजना निदेशक, एनएचएम, जयपुर।
7. अतिरिक्त निदेशक – प्रशासन, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, जयपुर।
8. निदेशक–आरसीएच, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, जयपुर।
9. निदेशक–राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण प्रशिक्षण संस्थान, जयपुर।
10. निदेशक (वित्त), एनएचएम, जयपुर।
11. राज्य कार्यक्रम प्रबंधक, एनएचएम, जयपुर।
12. परियोजना निदेशक, आरबीएसके / एमएच / सीएच / इम्यूनाईजेशन / एफडब्ल्यू, एनएचएम।
13. अनुभाग अधिकारी, एचआर, एनएचएम, जयपुर।
14. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, समस्त जोन, राजस्थान।
15. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, वर्णित जिलो को भेजकर लेख है कि संबंधित कार्मिक को कार्यग्रहण करवाकर अग्रिम कार्यवाही करे एवं पालना रिपोर्ट भिजवाये।
16. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, जिला चिकित्सालय, वर्णित जिले।
17. जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी, वर्णित जिले।
18. जिला कार्यक्रम प्रबंधक / जिला लेखा प्रबंधक, एनआरएचएम, वर्णित जिले।
19. वर्णित संविदा कार्मिको को पालनार्थ।
20. प्रभारी सर्वर रूम को वर्णित आदेश को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड करने एवं समस्त संबंधितो को ई–मेंल करने हेतु।
21. रक्षित पत्रावली।

परियोजना निदेशक
एनएचएम